

6/6/2025

कमल शर्मा अप.। पत्रावली वास्ते आदेश प्राप्ति द्वारा 128/2024 बाबर

नियत है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व हस्तांतरण का अक्लौडिंग

डिया गया। अर्द्ध पक्ष करों का मनन डिया गया। अर्द्ध अक्लौडिंग

पर पाया गया कि, अर्द्ध पत्रावली के अर्द्ध आराजीयात वर्तमान

में लालू पुर दयाल जाति बैरवा सफ. धना के नाम पर

है। इस वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में अर्द्ध गण नारायण

पुर लालू तथा मिठू लाल पुरी लालू खर्चदार नहीं है।

लागातार

उपसभ अधिकारी

भिवान (अजमेर)

फर्द-अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला-अजमेर(राज0)

प्रकरण संख्या- /

बनाम.....

अन्तर्गत धारा:-.....

हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्य जज

अतः शर्षीगण उशनगत आराजी की पहचानही करवाने के अधिकारी नष्टीपावै गये है। पत्रावली के प्रबलोकन तथा वेदक के मनन उपरान्त शर्षीगणों के ; उशनगत आराजीयात के, रिकॉर्ड्स खालेदार कारतकार नही होने से शर्षीगणोंकारा प्रस्तुत शर्षीना। पर अन्तर्गत धारा 128 CrP अधिनियम लागू नही होने से खारिज की जाती है।  
पत्रावली फेसल सुमार है। नम्बर के इम होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय (अजमेर)